किशनाराम बनाम हरिराम
2008/00011
मैन्युअल नंबर 66/2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2008/00011 दर्ज तिथिः–20.02.2008

1. किशनाराम पुत्र तेजाराम
2. सुखराम पुत्र तेजाराम
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.............................वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 नेनू पत्नी साजन
2/2 राजू पुत्र साजन
2/3 रामजीवण पुत्र साजन
2/4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
2/4/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
2/4/2 शैतान पुत्र किशनाराम
2/4/3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. श्रीराम पुत्र कानाराम
5. हरिराम पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र मंगलाराम
7. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
8. सुगणी बेवा मंगलाराम
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

..........................असल प्रतिवादीगण

9. प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमन्ना
10. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..........................तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः–गंगाराम विश्नोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

किशनाराम बनाम हरिराम
2008/00011
मैन्युअल नंबर 66/2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो मतवफी शेराराम की वारिश है । शेराराम के 2 पुत्र काछबाराम व मिसरीराम हुए । वक्त सैटलमेन्ट मूलग्राम धोरीमन्ना में शेराराम के समय की पैतृक आराजी मौजा मेहराणी ढाकों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 199/18.2594 है0, का सैटलमेन्ट दर्ज हुआ। सैटलमेन्ट में पैतृक संपति के अनुसार वादीगण का उक्त खसरे में 1/2 हिस्सा मय खातेदार के रूप में दर्ज हुआ तथा इसी अनुसार बंटवारा चाहा गया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लैम पेश कर वादी का हिस्सा अधिक दर्ज होना बताकर 1/4 हिस्सा ही घोषित करने का निवेदन किया गया है। परन्तु अन्य खसरों में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा अनुसार भूमि समायोजित करने से उक्त खसरें में राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा घोषित किये जाने का निवेदन किया है।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 8 उपस्थित न्यायालय होकर काउन्टर क्लैम पेश करते हुए बाद सुनवाई आपसी सहमती व लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के अनुसार खसरा संख्या 199 में वादीगण का अन्य खेत के खसरों में हिस्सा समायोजित किया जाकर उक्त खसरें में 828/2256 हिस्सा यादि 41–08 बीघा भूमि का वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष में राजीनामा अनुसार 1428/2256 हिस्सा यानि 71–08 बीघा घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण उक्त 1428/2256 हिस्से में काछबा के 3 वारिशों के रूप में अपना–अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होगे। इसी अनुसार सभी का हिस्सा घोषित करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति पेश की है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।
3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पेश राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा [illegible] प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादी या

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 199/18.2594 है0, वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण का 828/2256 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 828/4512 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1428/2256 होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 1428/6768 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 1428/27072 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2/4/1 से 2/4/3 का प्रत्येक का 1428/81216 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1428/27072 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1428/81216 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 18.03.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2008/00011 दर्ज तिथिः—20.02.2008

1. किशनाराम पुत्र तेजाराम
2. सुखराम पुत्र तेजाराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना
..............................वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 नेनू पत्नी साजन
   2/2 राजू पुत्र साजन
   2/3 रामजीवण पुत्र साजन
   2/4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
   2/4/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
   2/4/2 शैतान पुत्र किशनाराम
   2/4/3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. श्रीराम पुत्र कानाराम
5. हरिराम पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र मंगलाराम
7. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
8. सुगणी बेवा मंगलाराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
.........................असल प्रतिवादीगण

9. प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमन्ना
10. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

...........................तकमिली प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादी:—गंगाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

किशनाराम बनाम हरिराम
2008／00011
मैन्युअल नंबर 66／2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

निर्णय दिनांकः—18.03.2025

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 199／18.2594 है0, वाके ग्राम मेहराणी ढाकों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण का 828／2256 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 828／4512 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1428／2256 होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 1428／6768 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2／1 से 2／3 का 1428／27072 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2／4／1 से 2／4／3 का प्रत्येक का 1428／81216 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1428／27072 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1428／81216 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested